न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील निर्वाचन सं0 01/2021

सुमरन सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति गूजर ,निवासी जाटव बस्ती खरका ,तहसील उच्चैन, ग्राम पंचायत गहलऊ जिला भरतपुर (राज0)

.... अपीलान्ट

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, विधान सभा निर्वाचक क्षेत्र 074 (एस.डी.एम.) नदबई ।

.......रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 18.01.2021 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी विधान सभा निर्वाचक क्षेत्र 074 भाग संख्या –240 मतदाता सं0 1159

निर्णय **दिनांकः– 28.01.2021**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 18.01.2021 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) नदबई जिला भरतपुर पेश की है। अपीलाधीन आदेश में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नदबई ने अपीलान्ट सुमरन सिंह पुत्र प्रताप सिंह का नाम ग्राम खरका तहसील रूपवास की निर्वाचक नामावली 2021 की भाग संख्या 240 पूरक संख्या 01 की मतदाता सूची की कम संख्या 1159 को दिंनांक 18.01.2021 से डिलीट करने की आज्ञा पारित की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तहत पत्रावली तलव की गई। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नदबई से प्राप्त तहत पत्रावली/टिप्पणी शामिल मिसिल की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट ग्राम खरका तहसील उच्चैन का स्थायी निवासी है। ग्राम खरका में ही प्रार्थी का पक्का मकान, खातेदारी की कृषि भूमि आदि है। अपीलान्ट का नाम मतदाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:[illegible]8:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

हैसियत से ग्राम खरका जाटव बस्ती तहसील रूपवास की निर्वाचक नामावली 2014 के भाग संख्या 198 की क्रम संख्या 227 पर दर्ज था। अब इस मतदाता सूची की पूरक विवरण पुनरीक्षण 2021 की भाग संख्या 240 पूरक संख्या 01 की मतदाता सूची की क्रम संख्या 1159 को प्रकाशन की तिथि 18.01.2021 से ई0आर0ओ0 नदबई द्वारा प्रार्थी को सूचित किये बिना अपीलान्ट का नाम डिलीट कर दिया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट का नाम किसी भी मतदाता सूची में अंकित नहीं है। रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट का नाम ग्राम खरका की मतदाता सूची से कलमजन कर उसे संवैधानिक मत देने के अधिकार से वंचित कर दिया है। अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया है कि अपीलान्ट के पासपोर्ट, पैनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आदि में उसका निवास स्थान ग्राम खरका अंकित है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नदबई का अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील स्वीकार कर अपीलान्ट का नाम बहैसियत मतदाता संख्या–1159, भाग संख्या–240 विधान सभा क्षेत्र संख्या–74 नदबई में डिलीट करने के आदेश व कार्यवाही को निरस्त कर अपीलान्ट का नाम बदस्तूर जोड़ने की प्रार्थना की गई है।

इस सम्बन्ध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नदबई से प्राप्त तहत पत्रावली/जबाव का अवलोकन किया। ई.आर.ओ नदबई ने अपने जबाव में अंकित किया है कि अपीलान्ट द्वारा भाग संख्या 240 ग्राम खरका में नाम जुडवाने हेतु प्रपत्र 6 सम्बंधित बी.एल.ओ. को प्रस्तुत किये जाने पर अपीलान्ट का नाम ग्राम खरका की मतदाता सूची की भाग संख्या 240 में जोडा गया था। किन्तु बी.एल.ओ. भाग संख्या 240 द्वारा दिनांक 02.01.2021 को इस आशय की रिपोर्ट की गई कि उन्हें अन्य स्रोतो से जानकारी हुई है कि अपीलान्ट ग्राम खरका में निवास नही करता है, और वह पंचायत समिति रूपवास का पंचायत समिति सदस्य उच्चैन कस्बे से निर्वाचित हुआ है तथा उच्चैन में ही निवास करता है। बी.एल.ओ. की रिपोर्ट के सम्बन्ध में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी उच्चैन से जांच कराई गई। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी उच्चैन से इस आशय की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई कि अपीलान्ट उच्चैन कस्बा में निवास करता है एवं सन् 2015 में पंचायत समिति रूपवास से पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुआ [illegible] 240 एवं ए0ई0आर0ओ उच्चैन की रिपोर्ट के आधार पर अपीला[illegible] होना बताया गया है, इस कारण अपीलान्ट का नाम पृथक [illegible] अतिरिक्त अपीलान्ट ने स्वंय के

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:08:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
भरतपुर (राज0)

रा ही भाग संख्या 233 उच्चैन से नाम पृथक करने हेतु सम्बंधित बी.एल.ओ. को प्रपत्र 7 [illegible]त किया गया था। इस कारण अपील कर्त्ता का नाम भाग संख्या 233 उच्चैन से भी विलोपित हुआ है।

हमनें अभिभाषक अपीलान्ट एवम् ई0आर0ओ नदबई से प्राप्त जबाव और तहत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। अपीलान्ट का नाम पूर्व में कस्बा उच्चैन के भाग संख्या 233 में दर्ज था किन्तु उसके द्वारा अपना नाम कटाकर ग्राम खरका की मतदाता सूची के भाग संख्या 240 में नाम जुडवाने हेतु प्रपत्र 6 सम्बंधित बी.एल.ओ. को प्रस्तुत किया गया। जिस पर बी.एल.ओ. द्वारा आवेदक का मूल निवास खरका मानते हुये नाम जोडने की अभिषंशा किये जाने पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी उच्चैन विधानसभा क्षेत्र नदबई द्वारा आवेदक का प्रपत्र 6 स्वीकार किया गया हैं, किन्तु ई0आर0ओ नदबई का यह कथन कि बी.एल.ओ. द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह अवगत कराना कि उसे अन्य स्रोतों से यह जानकारी हुई है कि अपीलान्ट ग्राम खरका में निवास नहीं करता है और वह कस्बा उच्चैन से पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित है। अपीलान्ट का नाम दूसरी जगह (उच्चैन) में भी हैं तथा वह उच्चैन में ही निवास करता है। बी.एल.ओ. द्वारा जिन अन्य स्रोतों की जानकारी से अपीलान्ट के खरका में निवास नहीं करना अपने प्रार्थना पत्र में बताया है, किन्तु बी.एल.ओ. द्वारा उन अन्य स्रोतों की जानकारी का कोई उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया है। अपीलान्ट का नाम उच्चैन की मतदाता सूची में भी दर्ज होने का कोई साक्ष्य/प्रमाण अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (तहसीलदार) उच्चैन की जांच रिपोर्ट के संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 03.01.2021 जो भू0अभिलेख निरीक्षक पिचूना, पटवारी हल्का खरका व चुनाव प्रभारी उच्चैन द्वारा तैयार की गई है, में अंकित किया गया है कि " श्री सुमरनसिंह पुत्र प्रतापसिंह के निवास की जांच हेतु ग्राम पंचायत गहलऊ के ग्राम खरका में मौके पर पहुंचे। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई तो ग्रामीणों ने बताया कि श्री सुमरनसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति गुर्जर उच्चैन से पंचायत समिति सदस्य रहें है, इनका हाल निवास उच्चैन में होना बताया है, साथ ही कहां कि उक्त व्यक्ति खरका में निवास नहीं करता है। उपस्थित ग्रामीणों ने हस्ताक्षर करने से [illegible] दिया "। मौके पर भू0अभिलेख निरीक्षक पिचूना, पटवारी हल्का खरका व चुनाव प्रभारी [illegible] जो मौका फर्द तैयार की गई है, उसमें अपीलान्ट के खरका में निवास नहीं होने की कोई साक्ष्य आदि है और न ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:08:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

की रिपोर्ट पर वहां के किन्हीं गवाहों के बयान आदि लिये गये है। इस प्रकार मौका पर्चा में [illegible]य का अभाव है। सम्बंधित बी.एल.ओ. एवम् सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी उच्चैन द्वारा कोई ठोस साक्ष्य के साथ जांच किया जाना नहीं पाया गया है, यह कार्यवाही केवल कयासों के आधार पर हीं किया जाना प्रतीत होती है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नदबई द्वारा भी अपने स्तर से कोई जांच नहीं की गई है। मात्र बी.एल.ओ. एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं। इसके विपरीत अपीलान्ट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में ड्राईविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि पेश किये है, जिनमें अपीलान्ट का निवास का पता ग्राम खरका अंकित है। अपीलान्ट ने ग्राम खरका की जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 भी पेश की है। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अपीलान्ट ग्राम खरका का ही निवासी है। वर्तमान में अपीलान्ट का नाम न तो कस्बा उच्चैन की मतदाता सूची में है और न ही ग्राम खरका की निर्वाचक नामावली में है। वर्तमान परिवेश में किसी भी व्यक्ति का कई स्थानों पर भूमि/भवन/प्लॉट होना स्वाभाविक है, परन्तु उसके भौतिक निवास को देखना है। निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने, हटाने की प्रकिया को इतना उदार इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी भारतीय नागरिक मत देने एवं चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित ना रहे । अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य रहती है।

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.01.2021 निरस्त किया जाकर पत्रावली ई0आर0ओ नदबई को इस आशय के साथ रिमाण्ड की जाती है कि प्रकरण में पूर्ण निष्पक्ष जांच कर साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधारों पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय के साथ मूल पत्रावली वापिस लौटाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:08:55
Reason: SelfAttested

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,भरतपुर